न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 01/2017

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. मृतक श्री मोहब्बतसिंह पुत्र श्री मकनसिंह जाति राजपूत के कायम मुकाम–
1.1 श्री रणजीतसिंह पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.2 श्री बलवन्तसिंह पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.3 श्री वीरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.4 श्री सुमेरसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.5 सुश्री जशोदाकुंवर पुत्री स्व. श्री करणसिंह पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.6 श्रीमती छैलकुंवर पत्नि स्व. श्री करणसिंह पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.7 सुश्री सुन्दरकुंवर पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.8 सुश्री गीताकुंवर पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.9 सुश्री कान्ताकुंवर पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
1.10 सुश्री शारदाकुंवर पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिंह निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही)

Signature Not Verified

निर्णय

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 31.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा भावरी, पटवार मण्डल भावरी, तह. पिण्डवाडा के खसरा नं. 1304 रकबा 108.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी आई हुई है, जिसमें से 0.01 बीघा भूमि तहसील कार्यालय पिण्डवाडा के आदेश कमांक/राज./84/1268 दिनांक 06.01.1984 द्वारा अप्रार्थी श्री मोहब्बतसिंह पुत्र श्री मकनसिंह जाति राजपूत को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

संख्या 964 द्वारा अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी, परन्तु अप्रार्थी का देहान्त होने पर उसके वारिसानो को नोटिस तामिल होने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल.दवे ने दिनांक 11.03.2022 को अण्डरटेकिंग ली एवं दिनांक 26.04.2022 को प्रकरण में नो–इस्ट्रक्शन व्यक्त किया। उसके उपरान्त प्रकरण में अप्रार्थी के वारिसानों की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। अतः अप्रार्थी अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 1304 रकबा 108.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी भूमि में से 0.01 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री मोहब्बतसिंह पुत्र श्री मकनसिंह जाति राजपूत को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका एवं उसके देहान्त के पश्चात अप्रार्थीयान का कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा भावरी, पटवार मण्डल भावरी, तह. पिण्डवाडा के खसरा नं. 1304 रकबा 108.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी आई हुई है, जिसमें से विवादित खसरा संख्या 1304/2075 रकबा 0.01 बीघा भूमि तहसील कार्यालय पिण्डवाडा के आदेश कमांक/राज./84/1268 दिनांक 06.01.1984 द्वारा अप्रार्थी श्री मोहब्बतसिंह पुत्र श्री मकनसिंह जाति राजपूत को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 964 दर्ज किया गया। यह है कि पटवारी हल्का भावरी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीयान द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भ[illegible] काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसील[illegible] द्वारा [illegible] वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीयान [illegible] पाया जाता । यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका [illegible] होता है मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीयान को किसी तरह की कोई राहत [illegible] जाना विधि संगत नही होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

Bhlm
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भावरी पटवार मण्डल भावरी, तह. पिण्डवाडा के खसरा नं. 1304 रकबा 108.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी आई हुई थी जिसमें से विवादित खसरा संख्या 1304/2075 रकबा 0.01 बीघा भूमि तहसील कार्यालय पिण्डवाडा के आदेश कमांक/राज./84/1268 दिनांक 06.01.1984 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner